झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.01.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखंडाधीन ग्राम जैतगढ़ में "सरस्वतीपुर जलापूर्ति योजना" मार्च 2017 से बंद कर दिया गया है। उक्त जलापूर्ति योजना को अचानक बंद कर दिये जाने से 1015 ग्रामों के हजारो ग्रामीण पेयजल संकट का सामना कर रहे है। अतः आसन्न गर्मी को देखते हुए लोकहितार्थ सरस्वती जलापूर्ति योजना को तत्काल प्रारंभ करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02-	सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर, कुशवाहा, शिवपुजन मेहता एवं श्री अशोक कुमार स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य के जिलों को दो भागों में बाँटते हुए 13 जिलों को अनुसूचित तथा पलामू, गढ़वा सहित कुल 11 जिलों को गैर अनुसूचित जिला घोषित किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

क्र0पृ030

01.	02.	03.	04.
		झारखण्ड सरकार के पत्रांक-9441, दिनांक-04.11.2016 के माध्यम से शिक्षकों के रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए प्रकाशित किये गये विज्ञापन में गैर अनुसूचित जिलों के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है, जबकि अनुसूचित जिलो के लिए रिक्तियों के विरूद्ध जिले के स्थानीय निवासी से ही आवेदन की मांग की गई है। एक राज्य में नियुक्ति से संबंधित दो प्रकार का मापदंड का क्या औचित्य है ? उक्त ध्यानाकर्षण के माध्यम से झारखण्ड प्रदेश में नियुक्ति में एक ही मापदंड निर्धारित किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	
03-	श्री दशरथ गागराई, श्रीमती जोबा मांझी एवं श्री शशि भूषण सामाइ स०वि०स०	सरायकेला-खरसावाँ जिला के खरसावाँ, गम्हारिया, सरायकेला, कुचाई एवं पं० सिंहभूम जिला के खूँटपानी, चाईबासा सदर, चक्रधरपुर, नोवामुडी, मनोहरपुर आदि प्रखंडों के विभिन्न गाँवों में जंगली हाथियों के हमले से दिसम्बर-जनवारी माह में सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। आये दिन जंगली हाथियों द्वारा गाँवों में घुसकर घरों को तोड़ा जा रहा है, फसल को नष्ट किया जा रहा है एवं घर में रखे अनाज को बर्बाद किया जा रहा है। विगत कुछ महीनों में जानमाल की भी क्षति हुई है। खरसावाँ के बलरामपुर निवासी हिनों सरदार को 9 जनवारी, 2018 को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। चक्रधरपुर के चैनपुर निवासी अनिरूद्ध कुंभकार की मौत हाथियों के कुचलने से दिसंबर माह में हुई है। नवंबर माह में मंझारी थाना क्षेत्र के चीमीसाई की वृद्धा जोंगा कुई को हाथियों ने मार डाला। मनोहरपुर के धानापाली गाँव में विगत 7 जनवरी को जखन महतो हाथियों का शिकार बना। जिन लोगों का घर तोड़ा गया है या जिनकी फसल की बर्बादी हुई है, उन्हें मुआवजे के लिए वन विभाग	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
		के कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ रहा है। अधिकारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आज के तारीख में भी दोनों जिलों के कई पंचायत के ग्रामीण हाथियों के आतंक से दहशत में जी रहे है। अखबारों में प्रतिदिन हाथियों के हमले से संबंधित समाचार प्रकाशित हो रहे है, परंतु वन विभाग के वरीय अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। खानापूर्ति के लिए ग्रामीणों को फटाखें दे दिया जा रहा है और अधिकारी जनाक्रोश के डर से क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। अतएव उपरवर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरायकेला-खरसावाँ एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों के हमले से हुए नुकसान के लिए शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने एवं इस समस्या का स्थायी समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	
04-	श्री अमित कुमार मंडल स०वि०स०,	राज्य में विभिन्न विभागों में पुराने पद्धति से विकास कार्य की रूपरेखा तय है जिसके कारण विभागों में चल रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कई तरह की दिक्कते आती है। इस कारण विभाग की योजनाओं को पूर्ण करने में Time,Quality और Cost की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इसलिए विकसित दिशों के तर्ज पर Data Mining & Cost Effective Solution का इस्तेमाल करते हुए नई तकनीक के सहारे एक नये स्वरूप में समस्या के समाधान को पेश करने की जरूरत है।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वेन्स

कृ०पृ०उ०

01.	02.	03.	04.
		अतएव राज्य सरकार Research Development & Innovation Hub का गठन करे। इसका स्वरूप विधायिका, कार्यपालिका, राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जैसे N.I.T., B.I.T., IIM.XLRI के मेधावी छात्रों को जोड़ा जाय ताकि विभिन्न विभागों में आने वाले किसी भी समस्या का Effective and Efficient Solution निकालकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत् उसका Implementation कर संबंधित विभाग को "Solution Package" के रूप में प्रस्तुत करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
05-	श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राजकुमार यादव स०वि०स०	पलामू जिला के कठौतिया कोल ब्लॉक राज्य अवस्थित उद्योग उषा मार्टिन लिमिटेड को आवंटित हुआ तो उसने नियमानुसार लगभग 105.50 करोड़ रूपये जमा कराये जिससे बाद में यह कोल ब्लॉक वापस लिया गया परन्तु जिस जमीन के अधिग्रहण के लिए यह पैसा दिया था यह जमीन नहीं मिलने के बाद भी इस कम्पनी द्वारा वहाँ अवैध खनन कार्य धड़ल्ले से किया गया जब कम्पनी अपने द्वारा जमा किये गये उक्त रूपयों की वापसी की मांग सरकार से की तो राज्य के कुछ वर्त्तमान उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारी उषा मार्टिन लिमिटेड को इस एक सौ पांच करोड़ रूपये लौटाने पर आमादा है जबकि इन अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस कम्पनी पर सरकार के विभिन्न विभागों के लगभग 406 करोड़ रूपयों से अधिक का बकाया है। उषा मार्टिन लिमिटेड के अवैध कार्यो के संपोषण से जुड़े कई दस्तावेज हैं जैसे उप निदेशक खनन विभाग, पलामू अंचल ने उपायुक्त पलामू के पत्रांक- 732, दिनांक- 01.10.2015 के आलोक में कठौतिया के 687.93 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन से हुई क्षति का आंकलन किया	उद्योग खनन एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
		था तथा तत्कालीन आयुक्त पलामू एन0के0 मिश्रा ने तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के खिलफ दिनांक- 29.01.2015 के रिपोर्ट में श्रीमती सिंघल को कठौतिया खादान मामले में उषा मार्टिन लिमिटेड को लाभ पहुँचाने में अरबो रूपयों के राजस्व के नुकसान का जिम्मेवार ठहराया था। अतः सरकार अविलम्ब एक उच्चस्तरीय जाँच समिति/न्यायिक जाँच समिति का गठन कर इन मामलों का जाँच कराते हुए उक्त वर्णित कम्पनी के सभी पूर्व बकाये का गणना कर राजस्व वसूली करते हुए इसमें संलिप्त सरकारी व गैरसरकारी लोगों पर कठोर अनुशासनिक कार्यवाइ सुनिश्चित करने की ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्या० आकृष्ट कराते हैं।	

राँची,
दिनांक- 20 जनवरी, 2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-.....879...../वि0 स0, राँची, दिनांक-19/01/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वेन्स विभाग एवं उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/18
(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-.....878...../वि0 स0, राँची, दिनांक-19/01/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/18
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-